उ.म.रे. के सा.एवं सहा. नियम की संशोधन पर्ची सं.-69, दिनांक-13.05.2021 का राजभाषा में अनुवाद

(संदर्भ : (i) कार्यपालक निदेशक/संरक्षा-II का पत्र सं.-2020/सेफ्टी(ए&आर)/19/12/,दि.-10.03.2021 & भारत का राजपत्र संख्या-116, दिनांक-08.03.2021, मद सं. 01 & 02

(ii) ई-ऑफिस फाइल नं. - एनसीआर-एचक्यू0ईएलओसी(एल122)/1/2021-ओ/ओ एएक्सईईएन/लोको/मुख्यालय/एनसीआर, दिनांक-02.04.2021, मद सं. 03)

1. वर्तमान सा.नि. 1.01(1) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 69)

सा.नि. 1.01(1) : इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण संशोधन नियम, 2021 है ।

2. वर्तमान सा.नि. 3.07(7) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 69)

सा.नि. 3.07(7) : अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन, रंगीन बत्ती दूरस्थ सिगनल पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल के साथ अथवा मध्यवर्ती ब्लाक सिगनल अथवा समपार की रक्षा करने वाले रोक सिगनल के साथ संयुक्त कर लगाया जा सकता है । रंगीन बत्ती दूरस्थ सिगनल को (i) पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल अथवा (ii) मध्यवर्ती ब्लाक सिगनल अथवा (iii) समपार की रक्षा करने वाले रोक सिगनल के साथ संयुक्त कर लगाये जाने की अवस्था में ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि यह सिगनल 'रोक' संकेत से कम प्रतिबन्धित संकेत तब तक न दे सके, जब तक कि उपरोक्त (i) और (ii) के मामले में अगले स्टेशन से लाइन क्लियर न ले लिया जाये और उपरोक्त (iii) के मामले में, जब तक गाड़ियों के गुजरने के लिये समपार फाटक को बन्द कर ताला न लगा दिया जाये ।

3. वर्तमान स.नि. 4.19/3(क) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 69)

स.नि. 4.19/3(क) : लोको पायलट जब किसी गाड़ी के इंजन या अकेले इंजन का इंचार्ज़ है तो उसके पास साधारण नियम 4.19 में दिये गये सामानों के साथ निम्नलिखित निजी समान भी अवश्य होना चाहिये-

(1) इलेक्ट्रानिक फार्म में सम्पूर्ण और अद्यतन साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक एवं दुर्घटना नियमावली या वह भाग जो उसके कार्य से सम्बन्धित हो ।

(2) एक डिब्बे में 10 पटाखे ।

(3) एक ट्राई कलर टार्च ।

(4) डंडों पर लगी दो लाल और एक हरी झंडी ।

(5) लोको पायलट मेमो बुक ।

(6) एयर ब्रेक कोचों के लिए एसीपी वाल्व को रीसेट करने की चाबी ।

(7) इलेक्ट्रानिक फार्म में ट्रबल शूटिंग गाइड (केवल डीजल लोको पायलट के लिये) एवं ट्रबल शूटिंग डायरेक्टरी (ए.सी. चालकों हेतु) ।

(8) पोर्टेबल फील्ड टेलीफोन (केवल उन खण्डों के लिये जहां विश्वसनीय एमटीआरसी सिस्टम उपलब्ध नहीं है) ।

सं.- याता/सामा./संशोधन पर्ची /22/20

दिनांक : 30.07.2021.

(बिप्लव कुमार)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख कार्यकारी निदेशक (संरक्षा)/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली |
2. सचिव महाप्रबंधक - महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ |
3. प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, प्रमुख मुख्य इंजी., प्रमुख मुख्य बिजली इंजी., प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजी., प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजी./उत्तर मध्य रेलवे/प्रयागराज |
4. प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक- उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे |
5. मंडल रेल प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा |
6. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा |
7. प्राचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/चंदौसी/उत्तर रेलवे |
8. प्राचार्य, बिजली प्रशिक्षण केंद्र/कानपुर/उत्तर मध्य रेलवे |

(बिप्लव कुमार)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

अनुवादित